राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 53 | जुलाई – सितम्बर 2015 | सीमित प्रसार के लिए

बुनियादी सामाजिक सेवाओं का निजीकरण : अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सरकार

सम्पादकीय

राजस्थान सरकार, राज्य में श्रम कानूनों में बदलाव करने के बाद अब राज्य के सभी क्षेत्रों में निजी–सार्वजनिक भागीदारी के रूप में निजीकरण करने के रास्ते पर चल पड़ी है। निजीकरण का यह मॉडल केवल सार्वजनिक परिवहन एवं हाउसिंग बोर्ड तक ही सीमित ना होकर स्कूली शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन तक में लाया जा रहा है। सरकार ने राज्य में पहले चरण में 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड में संचालित करने का फैसला किया है। जिसमें से कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक संस्था को दिये जा चुके हैं। इसके अलावा बाड़मेर का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक कंपनी के हवाले किया गया है। वहीं सरकार राज्य में माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों को पीपीपी मोड में चलाने के लिए एक मसौदा नीति भी लाई है। राज्य के 10,000 आंगन बाड़ी केन्द्रों को भी 'नन्द घर' के नाम से निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित किये जाने की चर्चा है। क्या वास्तव में सामाजिक सेवा को निजी हाथों में देने से बेहतर परिणाम आ सकते हैं। इस विषय पर एक आलेख इस अंक में दिया जा रहा है।

अखबार के समाचारों के अनुसार राज्य के पांच विद्यालयों तथा 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निजी क्षेत्र को दिया जा चुका है। राज्य में बुनियादी सामाजिक सेवाओं के निजीकरण का यह प्रयास तब चल रहा है जबकि राज्य में कई सामाजिक क्षेत्रों के बजट में कटौती की गई है। सामाजिक क्षेत्रों के बजट में कटौती का एक कारण इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के बजट में कटौती होना भी रहा है। केन्द्र सरकार का तर्क है कि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लेने के बाद अब केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बढ़ गया है इसलिये सामाजिक सेवाओं पर केन्द्रीय खर्च में कटौती की जा रही है, जिसे राज्य सरकार पूरा कर पायेगी। परन्तु जैसा कि इस अंक में शामिल ''14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्य में सामाजिक क्षेत्रों पर प्रभाव'' शीर्षक आलेख में देखा जा सकता है, राज्य को केन्द्र से होने वाले कुल हस्तांतरण में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है इसलिये राज्य सरकार से उम्मीद करना कि वो सामाजिक सेवाओं पर खर्च में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे बेमानी है।

इसके साथ ही बजट समाचार के इस अंक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये आंवटन तथा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के बजट पर एक आलेख, महिला कृषकों की स्थिति तथा कृषि एवं सिंचाई में जेण्डर बजट तथा एक आलेख राज्य में बच्चों के लिये बजट पर भी दिया जा रहा है। बच्चों के लिये आंवटित कुल बजट, जो बार्क के आंकलन पर आधारित है, में भी यह देखा जा सकता है कि राज्य में 41 प्रतिशत आबादी 18 साल से कम के बच्चों की होने के बावजूद भी कुल बजट में उनका हिस्सा 20 प्रतिशत के आस–पास है तथा पिछले वर्षों में उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जाहिर है कि सरकार को निजी क्षेत्रों पर निर्भर होने के बजाय सामाजिक सेवाओं के बजट बढ़ाने तथा उनके संचालन में जन भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य बजट एवं प्रमुख स्वास्थ्य योजनाऐं

राज्य सरकार ने अभी कुछ माह पूर्व ही अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया है जिसमें सरकार ने इस वर्ष कुल 137713.38 करोड़ रू. के खर्च का अनुमान किया है। इसके साथ ही सरकार ने इस वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुल 9413.27 करोड़ रू. व्यय होने का अनुमान किया है यह राशि राज्य के कुल बजट की लगभग 6.83 प्रतिशत है। यदि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद से तुलना की जाये तो इस वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये कुल सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.38 प्रतिशत राशि आवंटन किया गया है।

सारणी 1 : चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु बजट आवंटन राशि करोड़ रू. में

	2014-2015 (अनुमानित)			2014-2015 (संशोधित)			2015-2016 (अनुमानित)		
	आ. भिन्न	आयोजना	कुल	आ. भिन्न	आयोजना	कुल	आ. भिन्न	आयोजना	कुल
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य									
राजस्व	3101.65	1548.57	4650.22	3067.06	1235.32	4302.38	3325.23	1995.44	5320.67
पूंजीगत	0.00	1073.78	1073.78	0.00	622.21	622.21	0.00	1068.69	1068.69
कुल	**3101.62**	**2622.35**	**5724.00**	**3067.03**	**1857.53**	**4924.59**	**3325.23**	**3064.13**	**6389.36**
परिवार कल्याण									
राजस्व	28.15	2951.25	2979.40	24.67	2495.11	2519.78	27.32	2999.59	3026.91
पूंजीगत	..	..	..	..	..	..	..	..	..
कुल	**28.15**	**2951.25**	**2979.40**	**24.67**	**2495.11**	**2519.78**	**27.32**	**2999.59**	**3026.91**
महायोग	**3129.80**	**5573.60**	**8703.40**	**3091.70**	**4352.64**	**7444.37**	**3352.55**	**6063.72**	**9416.27**

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2014–15 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये कुल 8703.36 करोड़ रू. व्यय होने का अनुमान किया गया था लेकिन वर्ष 2014–15 के संशोधित बजट में इस राशि को घटाकर 7444.37 करोड़ रू. कर दिया गया है। इस प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संशोधित बजट में अनुमानित बजट की तुलना में काफी कटौती हुई है। वर्तमान वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 1971.30 करोड़ रू. तथा वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान की तुलना में मात्र 717.23 करोड़ रू. की बढ़ोतरी की गई है।

इसके साथ उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। परिवार कल्याण के आयोजना बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि परिवार कल्याण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना भी सम्मिलित है।

शेष पृष्ठ 3 पर....

सरकारी बनाम निजी : सामाजिक क्षेत्र का निजीकरण कितना प्रभावी

राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे ने जब पिछले बजट भाषणों में निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) की बात की थी तब शायद ही किसी को यह अन्दाज़ा था कि पीपीपी के नाम का यह मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्कूली शिक्षा में भी लागू किया जायेगा। परन्तु पिछले महीने ही राज्य केबिनेट द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड में चलाने का फैसला किया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, टीकाकरण तथा 104 एवं 108 एम्बुलेंस सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। पहले चरण में कुल 2082 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 90 स्वास्थ्य केन्द्रों को, पीपीपी मोड के अंतर्गत एक गैर सरकारी संस्था को दिया जा चुका है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन को एक निजी कंपनी के हवाले किया जा चुका है।

इसके पहले से ही राज्य सरकार ने राज्य में स्कूली शिक्षा को पीपीपी के तहत निजी क्षेत्रों के ग़ैर मुनाफा कम्पनीयों, सोसायटी, ट्रस्ट आदि के द्वारा संचालन हेतु ''स्कुली शिक्षा में निजी सार्वजनिक भागीदारी के लिये नीति 2015'' का मसौदा जारी किया है। तथा अब राज्य के पांच विद्यालयों की निजी कंपनीयों को दिया भी जा चुका है।

मसौदा नीति में सरकारी विद्यालयों को चलाने के लिये चार प्रकार की सहभागिता प्रस्तावित की गई है। पहला, वर्तमान स्कूलों को निजी संस्थानों को ''पहले आओ– पहले पाओ'' के आधार पर दिया जायेगा, जिनमें 100 प्रतिशत छात्र सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाएंगें। दूसरा, वर्तमान सरकारी विद्यालयों को नीलामी के द्वारा निजी संस्थानों को दिया जायेगा। इनमें भी 100 प्रतिशत छात्रों को सरकार प्रायोजित करेगी। तीसरा, ''शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों के अलावा अन्य प्रखण्डों'' में नये विद्यालय स्थापित करना, जिनमें सरकार केवल 40 प्रतिशत छात्रों को ही प्रायोजित करेगी शेष 60 प्रतिशत छात्र अपनी फीस स्वयं चुकाएंगे। चौथा, ''शैक्षिणिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों'' में नये विद्यालय खोलना, जहां सरकार 100 प्रतिशत बच्चों को प्रायोजित करेगी।

सबसे मजेदार यह है कि सरकार ने इस मसौदे में संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार कानून का ज़िक्र तक नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकारी शिक्षकों तथा गैर शैक्षिक स्टाफ का क्या होगा। मसौदा में कहा गया है कि सरकार बच्चों को मुफ्त किताबें, मध्यान्ह भोजन तथा अन्य लाभ देती रहेगी। प्रति छात्र फीस का भुगतान सरकार द्वारा बोली के आधार पर किया जायेगा। लेकिन सरकार स्कूल चलाने वाली निजी संस्था को कोई स्टाफ नहीं देगी।

राज्य में शिक्षा बजट

शिक्षा पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी तथा निजी विद्यालयों में प्रति छात्र कम खर्च के दावे की गहरी पड़ताल करने की आवश्यकता है। मसौदा नीति में इस दावे के निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के स्तर, समर्थन में किसी अध्ययन का हवाला नहीं दिया गया है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी औसतन 10 से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से होती रही है, केवल एक वर्ष को छोड़ कर।

परन्तु यदि शिक्षा बजट की तुलना राज्य के सकल घरेलु उत्पाद जी.एस.डी.पी. से करें तो राज्य में शिक्षा को आंवटन वर्ष 2010–11 में जी.एस.डी.पी. के 3.03 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2013–14 में 2.97 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों में शिक्षा बजट जी.एस.डी.पी. का 3.99 प्रतिशत हो गया, क्योंकि उस वर्ष से केन्द्र से प्राप्त सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि राज्य बजट में दिखाई जाने लगी। परन्तु जब वर्ष 2015–16 का बजट पेश हुआ तो वर्ष 2014–15 के आंवटन को संशोधित कर उसमें लगभग 2300 करोड़ रूपये की कटौती कर दी गई तथा यह जी.एस.डी.पी. का 3.58 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2015–16 में भी 2014–15 के मुक़ाबले मात्र 1000 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई तथा वर्तमान वर्ष में शिक्षा को कुल आंवटन जी.एस.डी.पी. का मात्र 3.48 प्रतिशत ही है।

निजी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा तथा कम खर्च का दावा भी किसी अध्ययन पर आधारित नहीं है। निम्न खर्च वाले निजी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च सरकारी स्कूलों से शायद कम आता हो, परन्तु इन स्कुलों की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों से अच्छी है यह नही कहा जा सकता। मंहगे निजी विद्यालयों में प्रति छात्र खर्च सरकारी स्कूलों से कहीं अधिक है।

निजी विद्यालय कितने बेहतर

पिछले कई वर्षों के असेर (ASER) रिर्पोट ये दिखाते हैं कि हांलाकि निजी विद्यालयों में सीखने का परिणाम सरकारी विद्यालयों से बेहतर है परन्तु पिछले वर्षों में दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफी गिरा है। वास्तव में वर्ष 2014 में सरकारी विद्यालयों के परिणाम सुधरे हैं जबकि निजी विद्यालयों के परिणामों में गिरावट आई है। असेर 2014 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवी के ऐसे छात्र जो दूसरी कक्षा के किताबों को पढ़ सकते हैं का प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में 2013 में 41.1 प्रतिशत था, जो 2014 में 42.2 प्रतिशत हो गया। जबकि निजी विद्यालयों में ऐसे छात्रों का प्रतिशत 2013 में 63.3 प्रतिशत से कम होकर 2014 में 62.5 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्षों के रूझान दिखाते हैं कि शिक्षा का स्तर में गिरावट निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के स्कुलों में बदस्तूर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवी के छात्र जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं का प्रतिशत सरकारी स्कुलों में 50.7 प्रतिशत (2010) से घटकर 42.2 प्रतिशत (2014) रह गया जबकि निजी स्कूलों में यह 64.2 प्रतिशत (2010) से घटकर 62.2 प्रतिशत रह गया है।

जहां तक प्रति छात्र खर्च की बात है, निजी विद्यालयों में बढ़ते ट्युशन खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्युशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत निजी स्कूलों में बढ़ रहा है जबकि सरकारी स्कूलों में यह प्रतिशत स्थिर है। असेर रिपोर्ट 2014 के मुताबिक निजी स्कुलों के 1–5 वीं तक के छात्रों में ट्युशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत 5.7 प्रतिशत (2011) से बढ़कर 8.1 प्रतिशत (2014) हो गया है जबकि सरकारी विद्यालयों के छात्रों में यह लगभग 15 प्रतिशत पर रूका हुआ है।

ज़ाहिर है कि सीखने के बेहतर परिणाम केवल स्कूल के प्रकार पर निर्भर नहीं करते। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के माता–पिता आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से बेहतर होते हैं। असेर रिर्पोट 2014 में असेर 2009 के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह पाया गया है कि अगर अन्य कारकों/तथ्यों को नियंत्रित करके सरकारी तथा निजी विद्यालयों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण किया जाये तो सरकारी तथा निजी विद्यालयों के अंतर में काफी कमी आ जाती है। असेर रिर्पोट बताता है कि सीखने के परिणामों में अंतर का दो–तिहाई स्कूल के प्रकार के अलावा अन्य कारणों से होता है।

साथ ही सरकारी स्कूलों के प्रंबधन को निजी क्षेत्रों के हवाले कर देने से सभी प्रकार के राजनैतिक

शेष पृष्ठ 3 पर....

14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों का राजस्थान के वित्त एवं सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव

भारत के 14 वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों से प्राप्त आय में से राज्यों को दी जाने वाली राशि को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश केन्द्र सरकार से की है। केन्द्र सरकार ने वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया है तथा केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा भी बढ़ा दिया है। परन्तु इससे केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को किये जाने वाले सम्पूर्ण हस्तांतरण में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को केन्द्रीय करों से हस्तांतरित राशि तो बढ़ी है, लेकिन दूसरे प्रकार के हस्तांतरण जैसे राज्यों को मिलने वाली सहायता अनुदान इत्यादि में केन्द्र सरकार द्वारा कटौती की गई है।

सारणी 1 : राजस्थान सरकार की आय के स्रोत (रूपये करोड़ में)

क्रं.सं.	प्रधान/शीर्ष	2014-15(BE)	2014-15(RE)	2015-16(BE)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	106124.67	96668.33	111361.66
2	कर राजस्व {2(i)+2(ii)}	63410.50	59604.02	76020.88
2(i)	केन्द्रीय करों में हिस्सा	22755.55	19817.15	28924.84
2(ii)	राज्य के स्वयं के कर	40654.95	39786.86	47096.03
3	गैर कर राजस्व	14938.61	13468.49	15496.00
4	सहायता अनुदान	27775.56	23595.82	19844.79
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8+9)	22151.33	29546.05	26526.03
6	पूंजीगत खाते में प्राप्तियां	8.00	8.00	8.00
7	सार्वजनिक ऋण से प्राप्तियां	19029.17	18411.39	22157.00
8	उधार एवं अन्य प्राप्तियां	151.43	1020.66	903.54
9	सार्वजनिक खाते से शुद्ध प्राप्तियां	2962.73	9806.00	3457.50
10	कुल प्राप्तियां (1+5)	**128276.00**	**126214.38**	**137887.69**

स्रोत : राजस्थान सरकार, बजट पुस्तिका

उपरोक्त सारणी राजस्थान सरकार की कुल प्राप्तियों को दर्शाती है इसके साथ ही केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को केन्द्रीय करों में हिस्सा एवं सहायता अनुदान हेतु हस्तांतरण को भी उक्त सारणी से समझा जा सकता है। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां जो वर्ष 2014–15 में 106.12 लाख करोड़ रूपये थी वह वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान में 9456.34 करोड़ रूपये कम हो गयी हैं। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय करों से राज्यों के हिस्से में कमी तथा केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान की राशि में कटौती होना दिखाई देता है।

यदि कर राजस्व को देखा जाये तो पिछले वर्ष केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 22755.55 करोड़ रूपये था, लेकिन संशोधित अनुमान में यह राशि 2938.4 करोड़ रूपये कम होकर 19817.15 करोड़ रू. रह गई है। इसी तरह केन्द्र से राज्य को प्राप्त अनुदान राशि पहले 27775.56 करोड़ रूपये थी जो संशोधित अनुमान में 4179.74 करोड़ रुपये कम होकर 23595.82 करोड़ रू. रह गई है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि राज्य के स्वयं के करों व गैर कर राजस्वों में कुछ ज्यादा कमी नही हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा की गई कुल कटौतीयों में से 75.27 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण हुई है।

14 वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2015–16 से स्वीकार की गई हैं, और इसका प्रभाव केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी पर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी यह राज्य सरकार के कुल राजस्व प्राप्तियों पर कोई खास प्रभाव नहीं डालता है। वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में 2014–15 की अपेक्षा कुल 5236.95 करोड़ रूपये की बढोतरी हुई है तथा राज्य की राजस्व आय 106124.67 करोड़ से बढकर 111361.66 करोड़ रुपये हो गई है। इस वर्ष यद्यपि राज्य सरकार की केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी लगभग 6169.29 करोड़ रूपये बढ़ी है परन्तु राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले अुनदान में लगभग 7930.77 करोड़ रू. की कमी आई है। जाहिर है कि केन्द्र से होने वाले कुल हस्तांतरण में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

राज्य सरकार की प्राप्तियों में कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा खर्च के तरीकों में भी काफी कटौती की गई है, जिसे निम्न सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी 2 : राज्य सरकार के कुल व्यय (रूपये करोड़ में)

गैर योजना व्यय	**74311.63**	**74600.38**	**80390.62**
राजस्व खाते से	69301.75	69268.27	75560.73
पूंजीगत खाते से	5009.88	5032.12	4829.89
योजना व्यय	**57115.26**	**51511.25**	**57322.77**
राजस्व खाते से	36085.44	31619.67	35244.12
पूंजी खाते से	21029.83	19891.58	22078.65
कुल व्यय	**131426.89**	**126111.63**	**137713.39**
कुल राजस्व व्यय	**105387.19**	**100887.94**	**110804.85**
कुल पूंजीगत व्यय	**26039.70**	**24923.69**	**26908.54**

स्रोत : राजस्थान सरकार, बजट पुस्तिका

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तीयों में 2014–15 (BE) से 2014–15 (RE) में जो में कमी हुई है उसका सीधा प्रभाव राज्य के आयोजना व्यय पर पडा है। वर्ष 2014–15 में राज्य के गैर आयोजना व्यय में कुल 288.75 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राज्य के योजना व्यय में कुल 5604.01 करोड़ रूपये की कमी हुई है योजना खर्च पिछले वर्ष के बजट अनुमान में 57115.26 करोड़ रू. से गिरकर संशोधित अनुमान से 51511.25 करोड़ रू. हो गया है।

यदि हम 2015–16 के बजट की 2014–15 के बजट से तुलना करें तो हमें पता लगेगा कि राज्य के गैर आयोजना व्यय में 6078.96 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है जबकि योजनागत व्यय में केवल 207.51 करोड़ रूपये की ही बढ़ोतरी हुई है।

सामाजिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं पर प्रभाव

राजस्थान सरकार द्वारा क्षेत्रवार आवंटन

राज्य सरकार के कुल व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से योजनागत व्यय में कमी दिखाई देती है साथ ही कुछ सामाजिक क्षेत्रों में आवंटन भी अच्छा नहीं रहा है। नीचे दी गयी सारणी से कुछ मुख्य क्षेत्रों पर राज्य सरकार के आवंटन को देखा जा सकता है।

सारणी 3 : राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में आवंटन (रूपये करोड़ में)

क्षेत्र	2014-15(BE)	2014-15(RE)	2015-16(BE)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8703	7444	9416
शिक्षा	22873	20573	23824
SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक कल्याण	1542	1340	1471
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	6567	6493	7592
पोषण (उपरोक्त में शामिल)	(1954)	(1470)	(1695)
कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं	5469	5260	5232
सिंचाई	3379	3184	3466
उर्जा	14957	13977	15999
ग्रामीण विकास	13904	12320	12968

स्रोत : राजस्थान सरकार, बजट पुस्तिका

उपरोक्त सारणी में देखा जा सकता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के आवंटन में तो कुछ वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि 2014–15 के अुनमान की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पोषण, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास को हुए आवंटन में काफी कमी देखी जा सकती है।

सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं पर प्रभाव :

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के बजट में, कई महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बजट आवंटन में कमी की गई है। राज्यों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत अधिक राशि दिये जाने का तर्क देकर यह कटौती की गई है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015–16 के बजट में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा है। जिसमें कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को बन्द कर दिया गया है, जबकि कुछ योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी के अनुपात में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को पहले जैसा ही चालू रखे जाने की बात केन्द्र सरकार ने कही है। केन्द्र सरकार ने तीसरी श्रेणी में समाज के कमजोर वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं एवं सरकार के संवैधानिक व कानूनी दायित्व वाली योजनाओं को रखा है। लेकिन जैसा निम्न सारणी में स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसी संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व वाली योजना के आवंटन में भी कमी की गई है।

सारणी : 4 केन्द्रीय बजट 2015–16 में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनओं हेतु आवंटन

(रूपये करोड़ में)

क्रं.सं.	योजना	2014-15 (BE)	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
1.	सर्व शिक्षा अभियान	28258	24380	22000
2.	मनरेगा	33989		34699
3.	समेकित बाल संरक्षण योजना	400	450	402.2
4.	समेकित बाल विकास योजना	18391		8449
5.	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम		769.72	1232
6.	मिड–डे–मील	13215	6973	7811
7.	इन्द्रा आवास योजना	16000		10025
8.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	5000	1560	2157
9.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	4000		2382.8
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22731.0	18609.03	18875.3
11.	कृषि विकास योजना		8444	4500

स्रोत : रेस्पॉन्स टू युनियन बजट, सी.बी.जी.ए. नई दिल्ली

जैसा की उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के आवंटन में भारी कटौती की गई है। एस.एस.ए., आर.एस.एम.ए., आई.सी.डी.एस., एम. डी.एम., आई.ए.वाई. एन.आर.एल.एम., एन.एच.एम. एवं आर.के.वी.वाई. जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के आवंटन में वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्तमान वर्ष में भारी कटौती की गई है।

इन योजनाओं के बजट कटौती को केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों का केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ाने से पूरा किया जा सकेगा यह केन्द्र सरकार की सोच है। लेकिन जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि केन्द्र से राज्य सरकार को वास्तविक हस्तांतरण में कोई अंतर नहीं आया है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार वर्ष 2015–16 के बजट में इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रति किस प्रकार का रूख रखती है। राजस्थान बजट में इन प्रमुख योजनाओं पर होने वाले आंवटन को निम्न सारणी में देखा जा सकता है।

सारणी 5 : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में कुछ चयनित योजनाओं पर आवंटन (रूपये करोड़ में)

क्र.सं	योजना	2014-15 (BE)	2014-15 (RE)	2014-15 (RE)	2015-16 (BE)
1	सर्व शिक्षा अभियान	4341.57	4191.55	4191.55	4987.34
2	मनरेगा	4849.86	3313.57	3313.57	4349.78
3	समेकित बाल संरक्षण योजना	36.10	50.5	50.5	60
4	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	0.0003	7.604	7.604	10.2274
5	मिड–डे–मील	765.00	600.00	600.00	659.45
6	इन्द्रा आवास योजना	859.55	755.43	755.43	814.83
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1155.54	551.57	551.57	1086.48
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	200.00	150.00	150.00	129.60
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना	-	-	-	31.19
10	स्वच्छ भारत अभियान मिशन	-	-	-	50.00
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	280.41	245.21	245.21	245.10
12	समेकित जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	500.00	711.00	711.00	629.87

स्रोत : राजस्थान सरकार, बजट पुस्तक

जैसा कि हम उपरोक्त सारणी में देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, आई.सी.पी.एस. और एम.एस.डी.पी. के आवंटन में वृद्धि को बनाये हुये है। लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे एम.डी.एम., आई.ए.वाई., आर.एस.एम.ए., एन.आर.एल. एम. तथा पेयजल योजनाओं में वर्ष 2015–16 में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में कमी हुई है तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। सरकार के आय–व्यय के आंकड़ों तथा विभिन्न क्षेत्रों खासकर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन को देख कर यह लगता है कि केन्द्र सरकार के कुल हस्तांतरण में मामूली परिवर्तन और 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के नाम पर विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती करने के प्रभाव राज्य के लिये बहुत सकारात्मक नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कई मुख्य क्षेत्रों जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, पोषण, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास के साथ एम.डी.एम., आई.ए.वाई., आर.एस.एम.ए., एन.आर.एल.एम. तथा पेयजल जैसी योजनाओं में काफी भारी कटौती की गई है।

राज्य बजट से बच्चों के लिए प्रावधान

जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है तथा जिसमें लगभग 41 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष मार्च में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया है जिसमें लगभग 1.37 लाख करोड़ रू. का वार्षिक खर्च अनुमानित किया है, जिसमें बच्चों पर कुल 28441.46 करोड़ रु. राज्य बजट का लगभग 20 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

बार्क द्वारा बच्चों पर राज्य बजट से राशि आवंटन की जानकारी का आंकलन करने के लिये राज्य बजट में से ऐसे सभी मदों को एक जगह किया गया है जिनसे 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को साथ लाभ होता है। इसके बाद इन मदों को समूहों में रखा गया है। निम्न सारणी में पिछले वर्षों में राज्य बजट में बच्चों के लिये हुए कुल आवंटन को दर्शाया गया है।

सारणी 1 : राज्य के कुल बजट की तुलना में बच्चों हेतु बजट (परिवार कल्याण सहित)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का बजट	बच्चों हेतु बजट	प्रतिशत
1	2013-14(AE)	94101.08	17293.27	18.38
2	2014-15(RE)	126111.63	24176.82	19.17
3	2015-16(BE)	137713.38	28441.46	20.65

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

उपरोक्त सारणी के अनुसार वर्तमान वर्ष में बच्चों के लिये कुल 28441.46 करोड़ रू. व्यय होने का अनुमान किया गया है। यह राशि राज्य के कुल बजट की लगभग 20.65 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2014–15 में बच्चों के बजट में हुई वृद्धि का मुख्य कारण है, वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये मिलने वाली राशि राज्य बजट में दर्शायी जाने लगी, जो 2013–14 तक पूर्ण रूप से राज्य बजट में शामिल नहीं होती थी।

निम्न सारणी में बच्चों के बजट को शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा पोषण मदों में रखा गया है।

सारणी 2 : राज्य बजट से बच्चों के विभिन्न मदों पर किया जाने वाला आवंटन

(राशि करोड़ रु. में)

विषय एवं मद	2014-15 BE	2014-15 RE	2015-16 BE
बाल शिक्षा			
सामान्य शिक्षा (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक)	20959.12	18802.54	21875.09
युवा एवं खेल	73.37	49.36	63.03
कला एवं संस्कृति	91.83	128.84	154.41
अन्य विभागों के कार्यक्रम	778.24	481.77	834.67
कुल योग (शिक्षा)	**21902.55**	**19462.51**	**22927.20**
बाल संरक्षण			
बाल श्रमिक कल्याण	0.0002	0.0002	0.0002
समन्वित बाल संरक्षण (ICPS)	38.35	50.5	60
बाल कल्याण (ICPS के अलावा)	49.32	19.63	12.89
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की अन्य योजनाएं	76.13	34.97	38.43
कुल योग (संरक्षण)	**163.80**	**105.10**	**111.32**
बाल स्वास्थ्य			
बाल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	18.88	19.16	20.89
परिवार कल्याण	2208.03	2519.78	3026.91
कुल योग (स्वास्थ्य)	**2226.90**	**2538.94**	**3047.80**
बाल विकास एवं पोषण			
पोषण	1958.32	1470.27	1695.69
मिड डे मील	761.10	600	659.45
कुल योग (विकास एवं पोषण)	2719.42	2070.27	2355.14
महायोग (परिवार कल्याण सहित)	**24804.64**	**21657.04**	**25414.55**
महायोग (परिवार कल्याण के अलावा)	**27012.67**	**24176.82**	**28441.46**

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

शिक्षा :– उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है, कि पिछले वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष बच्चों की शिक्षा पर रखे गए कुल बजट में 4.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है। बच्चों के शिक्षा के बजट मे मुख्यतः प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, अनुसुचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के अंतर्गत शिक्षा पर होने वाला व्यय शामिल किया गया है। वर्ष 2015–16 में राज्य मे कुल शिक्षा में गत वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान की तुलना मे 3464.69 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।

बाल संरक्षण :– उपरोक्त सारणी में पिछले वर्षों में सरकार के बाल संरक्षण हेतु बजट में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। बच्चों के कुल बजट में से इस वर्ष सुरक्षा एवं कल्याणकारी सेवाओं के अन्तर्गत 111.32 करोड़ रु की राशि रखी गई हैं, जो कि पिछले वर्ष 2014–15 की तुलना में 32.04 प्रतिशत कम है। वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान में सरकार ने बाल संरक्षण हेतु 105.10 करोड़ रूपये आवंटित किए थे, जो वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में गिरकर 111.32 करोड़ रूपये रह गए हैं। बाल संरक्षण के अंतर्गत केवल समन्वित बाल संरक्षण कार्यक्रम, जो एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, के आवंटन में वृद्धि हुई है। राज्य में बच्चों पर हिंसा एवं अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश के कुल बालश्रम का 10 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है तथा लगभग 42 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में कर दिया जाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकार को बाल सुरक्षा एवं संरक्षण को प्राथमिकता देने के साथ इसकी बजट राशि भी बढ़ानी चाहिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :– राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति काफी हद तक चिंतनीय है राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों, नर्सों एवं तकनीकी स्टाफ आदि की भारी कमी है तथा राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात जैसे संकेतकों में थोड़े सुधार के बावजूद भी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य को होने वाला आवंटन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुल स्वास्थ्य बजट में से बच्चों के बजट को अलग करना मुश्किल है। इसलिये स्वास्थ्य बजट में से बच्चों के अस्पतालों के बजट को लिया गया है। हालांकि अन्य अस्पतालों में भी बच्चों का इलाज तथा टीकाकरण होता है, परन्तु कुल बजट में से उसे अलग करना संभव नहीं है। उसी प्रकार हमने परिवार कल्याण के बजट को पूरी तरह से बच्चों के बजट में शामिल किया है। वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 3047.80 करोड़ रूपये आवंटित किए है, जिसमें गत वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 508.86 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।

बाल विकास :– बच्चो के सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पोषण सबसे महत्वपूर्ण है तथा सम्पूर्ण पोषण के लिये समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2015–16 में बच्चों के कुल बजट में से पोषण के लिए 1695.69 करोड़ रु. की राशि खर्च करना अनुमानित हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.41 प्रतिशत कम है। राजस्थान में मिड–डे–मिल (दोपहर का भोजन) की राशि वर्ष 2014–15 में 600 करोड़ रूपये से बढ़कर 2015–16 में 659.45 करोड़ रूपये हो गई है। वर्तमान वर्ष में कुल बाल विकास में गत वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान की तुलना मे 284.87 करोड़ रूपये की वृध्दि हुई है पर वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान की तुलना मे लगभग 13.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पृष्ठ 1 का शेष – स्वास्थ्य बजट एवं प्रमुख स्वास्थ्य योजनाऐं

सारणी 2 : राज्य बजट की तुलना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु आवंटन

राशि करोड रू. में

वर्ष	राज्य का कुल बजट	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कुल बजट	प्रतिशत
2014-2015 (अनुमानित)	*131426.86*	*8703.36*	*6.22%*
2014-2015 (संशोधित)	*126111.63*	*7444.37*	*5.90%*
2015-2016 (अनुमानित)	*137713.38*	*9416.27*	*6.83%*

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

उपरोक्त सारणी के अध्ययन से कहा जा सकता है पिछले वर्षों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये राज्य के कुल बजट का लगभग 5 से 6 प्रतिशत के बीच राशि आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष 2014–15 में राज्य का कुल बजट 131426.86 करोड़ था जिसमें से लगभग 8703 करोड़ रू., राज्य के बजट की लगभग 6.22 प्रतिशत राशि का आवंटन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए किया गया था।

पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 1258.99 करोड़ रू. की कटौती की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2014–15 में राज्य के संशोधित अनुमान 126111.63 करोड़ रू. का 5.90 प्रतिशत लगभग 7444.37 करोड़ रू. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु आवंटित किये गये।

राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष 2015–16 में कुल 137713.83 करोड़ का बजट पेश किया जिसमें से 6.83 प्रतिशत लगभग 9416.27 करोड़ रू. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिये आवंटित किये हैं इस वर्ष, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग 1971.90 करोड़ रु. अधिक आवंटित किये गये हैं।

सारणी 3 : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मुख्य योजनाओं हेतु आवंटन

राशि करोड रू. में

योजना	आवंटन	*2014-15 (अनुमानित)*	*2014-15 (संशोधित)*	*2015-16 (अनुमानित)*
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	कुल	*290.13*	*75.55*	*290.13*
	केन्द्रियांश	*217.60*	*56.66*	*239.36*
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	कुल	*1810.00*	*1578.03*	*1810.00*
	केन्द्रियांश	*1460.00*	*1181.56*	*1606.00*
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना	कुल	*404.86*	*287.39*	*390.37*
मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना	कुल	*161.72*	*122.06*	*164.05*

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन : वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिये कुल 290.13 करोड़ रू. के व्यय का अनुमान किया गया था, इस कुल आवंटन में से लगभग 81.47 प्रतिशत लगभग 217.60 करोड़ रू. केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत दिये गये हैं। लेकिन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में इसके लिए केवल 75.55 करोड़ रू. की राशि ही आवंटित की गई थी। वर्तमान वर्ष 2015–16 में राज्य बजट से एक बार फिर 290.13 करोड़ रू. के आवंटन किये गये हैं। इस कुल आवंटन में से लगभग 239.36 करोड़ रु. की राशि केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जारी की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये कुल 1810 करोड़ रू. के व्यय का अनुमान किया गया था, लेकिन इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में 12.82 प्रतिशत की कमी करते हुये 1578.03 करोड़ रू. का आवंटन किया गया। वर्तमान वर्ष 2015–16 में राज्य बजट से एकबार फिर 1810 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है, इस कुल आवंटन में से लगभग 88.73 प्रतिशत लगभग 1606 करोड़ रू. केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना : इस योजना के लिये वर्ष 2014–15 में कुल 404.86 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था लेकिन इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में इसे घटाकर केवल 287.39 करोड़ रू. कर दिया गया। वर्तमान वर्ष 2015–16 में इस योजना के लिये कुल 390.37 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 3.58 प्रतिशत कम है।

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना : इस योजना के लिये वर्ष 2014–15 में कुल 161.72 करोड़ रू. का आवंटन किया गया था लेकिन इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में इसे घटाकर केवल 122.06 करोड़ रू. कर दिया गया। वर्तमान वर्ष 2015–16 में इस योजना के लिये कुल 164.05 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जिसमें पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में कोई खास बढ़ोतरी नही की गई है।

पृष्ठ 1 का शेष – सरकारी बनाम निजी

तथा वैचारिक संगठनों के लिये स्कूली शिक्षा में अपनी विचारधारा को थोपने के दरवाज़े खुल जायेंगे जो भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं।

जब इस नीति का विरोध होना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा कि यह केवल माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होगा तथा अब यह भी कहा जा रहा है कि सरकार इस नीति को वापस लेने पर विचार कर रही है। ज़ाहिर है कि सरकार ने जल्दबाजी में बिना पूरी तरह से विचार किये यह मसौदा जारी किया है। आवश्यकता सरकारी स्कूलों को और सशक्त करने की है जिसके लिये आवश्यक है, बजट में वृद्धि, शिक्षा का अधिकार कानून का ठीक से लागू किया किया जाना, स्कूल प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी।

इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रों के उचित संचालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किये गये समुदाय आधारित निगरानी को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य बजट तथा आधारभूत ढ़ाचे को ठीक करने से काफी सहायता मिल सकती है। असल में सरकारी स्कूलों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को ठीक से चलाये जाने के लिये एक दूसरे प्रकार के पीपीपी की आवश्यकता है। यह है जन (पिपुल) –सार्वजनिक (पब्लिक)– भागीदारी। गांव के लोग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तथा जिन्हें अपना इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करवाना पड़ता है, की भागीदारी बढ़ाई जाये तो फिर इन सेवाओं में सरकार को निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

राज्य में महिला किसान एवं श्रमिक तथा बजट

राज्य में कृषक एवं कृषि मजदूर

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख हैक्टेयर है जिसका करीब 52 प्रतिशत यानी 1.79 हैक्टेयर वास्तविक बोया गया या शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल है। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की करीब 60 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न है। निम्न प्रस्तुत तालिका सं.–1 में 2011 में राज्य में कुल कृषक एवं कृषि मजदूरों की संख्या का आंकड़ा दर्शाया गया है।

तालिका–1 राज्य में कृषकों एवं कृषि मजदूरों की संख्या, 2011 (लाख में)

विवरण	महिला			पुरूष			कुल		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
आबादी	329.98	248.59	81.39	355.5	266.42	89.09	685	515	170
कृषक	61	60.08	0.9	75.18	73.49	1.68	136.18	133.58	2.58
कृषि मजदूर	28.06	27.2	0.8	21.3	20.13	1.19	49.39	47.33	2.05

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान

तालिका–1 से पता चलता है कि राजस्थान में कुल आबादी तकरीबन 685 लाख है जिसका करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तथा केवल 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहते हैं। कुल आबादी में 136.18 लाख लोग यानी कुल आबादी का 19.8 प्रतिशत कृषक हैं तथा 49.59 लाख यानी 7.2 प्रतिशत आबादी कृषि मजदूर हैं। राज्य में कुल महिलाओं में 18.48 प्रतिशत महिलाऐं कृषक हैं तथा 8.50 प्रतिशत महिलाऐं कृषि मजदूर हैं। वहीं 21.14 प्रतिशत पुरूष कृषक हैं तथा 5.9 प्रतिशत पुरूष कृषि मजदूर हैं। तालिका 1 से यह भी पता चलता है कि कुल कृषकों में महिला कृषकों की संख्या करीब 45 प्रतिशत है जिसमें 98.49 प्रतिशत महिला कृषक ग्रामीण क्षेत्र में हैं तथा केवल 1.9 प्रतिशत महिला कृषक शहरी क्षेत्र में रहती हैं।

राज्य में कृषि क्षेत्र का बजट

जैसा की पहले बताया गया है, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा राज्य की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से जुड़ा है परन्तु फिर भी राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट राज्य के कुल बजट का केवल 3.80 प्रतिशत ही है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में भी 0.37 प्रतिशत कम है। तालिका सं.–2 में राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट दर्शाया गया है।

तालिका 2 : राज्य में कृषि क्षेत्र का बजट (राशि करोड़ रुपये में)

		2013–14 (लेखे)	2014–15 (ब.अ.)	2014–15 (सं.अ.)	2015–16 (ब.अ.)
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	राजस्व	3522.41	4694.26	4652.32	4800.6
	पूंजीगत	384.24	774.89	608.36	431.93
	कुल	3906	5469	5260	5232
राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत		4.16	4.15	4.17	3.80
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	राजस्व	1672.20	1811.75	1781.43	1868.03
	पूंजीगत	1076.51	1567.97	1402.58	1598.51
	कुल	2748	3379	3184	3466
राज्य के कुल व्यय का प्रतिशत		2.57	2.92	2.52	2.52

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में 28 करोड़ रूपये कम करके 5232 करोड़ रूपये कर दिया गया है। यह कमी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान को भी बजट अनुमान की तुलना में 209 करोड़ रूपये घटाकर 5469 करोड़ रूपये से 5260 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 3466 करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं जो गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 282 करोड़ रूपये ज्यादा है। परन्तु पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में बजट अनुमान की राशि को 195 करोड़ रूपये घटाकर 3379 करोड़ रूपये से 3184 करोड़ रूपये कर दिया गया है

राजस्थान में कृषि विभाग का जेण्डर बजट

राजस्थान के जेण्डर बजट में जिन योजनाओं में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 70% से ज्यादा है उन्हें A श्रेणी दी जाती है, जिनमें 70–30% उन्हें B श्रेणी दी जाती है, जिनमें 30–10% उन्हें C श्रेणी दी जाती है तथा जिनमें महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 10% से कम है उन्हें D श्रेणी दी जाती है। परन्तु जेण्डर बजट विवरण के मौजूदा प्रारूप में महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उन पर किये जाने वाले खर्च के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है और ना ही विभागवार बल्कि बी.एफ.सी (Budget Finalization Committee) वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके गैर योजना खर्च, योजना खर्च व केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च को अलग–अलग श्रेणियां दी जाती हैं। जिसकी वजह से किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

तलिका 3 एवं 4 में जेण्डर बजट विवरण के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण दर्शाया गया है जिसके लिये कृषि विभाग एवं जल संसाधन विभाग की बी.एफ.सी इकाईयों के बजट का अध्ययन किया गया है।

तालिका –3

जेण्डर बजट विवरण के अनुसार कृषि एवं सिंचाई विभाग तथा बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं का वर्गीकरण

व्यय	A				B				C				D			
	2014-15		2015-16		2014-15		2015-16		2014-15		2015-16		2014-15		2015-16	
	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई	कृषि	सिंचाई
गैर योजना	-	-	-	-	1	18	-	24	8	22	1	33	6	2	11	-
योजना	1	-	3	-	1	56	-	48	9	6	26	4	5	-	2	-
केंद्र प्रवर्तित योजना	-	-	-	-	-	9	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-
कुल	1	-	3	-	2	83	-	72	18	29	27	37	13	3	13	-

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

तालिका 3 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में अधिकांश योजनाओं को श्रेणी C व D में सम्मिलित किया गया है। तथा सिंचाई विभाग में भी अधिकांश योजनाओं को C व D श्रेणी में ही शामिल किया गया है। जिसका मतलब है कि उन योजनाओं में महिला लाभार्थियों का प्रतिशत बहुत कम है।

राज्य का जेण्डर बजट 2015–16 का विश्लेषण : निम्न सारणी में राज्य के जेण्डर बजट में शामिल कृषि एवं सिंचाई विभागों के बीएफसी में शामिल मदों/योजनाओं के जेण्डर घटक (महिलाओं पर होने वाले खर्च) को दिखाया गया है।

तालिका 4 : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का बजट व बजट में जेण्डर घटक

(राशि करोड़ में)

वर्ष	गैर योजना खर्च	गैर योजना खर्च में जेण्डर घटक	योजना खर्च	योजना खर्च में जेण्डर घटक	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च में जेण्डर घटक	कुल बजट	कुल बजट में जेण्डर घटक
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र								
2014–15	431.8	30.9 (7.1%)	491.97	138.83 (28.21%)	680.25	91.19 (13.4%)	1604.02	260.92 (16.2%)
2015–16	353.9	10.63 (3%)	1575.27	494.05 (31.36%)	–	–	1929.17	504.68 (26.16%)
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण								
2014–15	689.74	217.37 (31.5%)	1352.01	779.41 (57.64%)	75.85	29.13 (38.4%)	2117.6	1025.91 (48.44%)
2015–16	556.8	205.04 (36.82%)	1441.24	664.45 (46.1%)	–	–	1998.04	869.49 (43.5%)

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर
कोष्टक में कुल बजट में जेण्डर घटक के प्रतिशत को दिखाया गया है।

वर्ष 2015–16 में विभाग के कुल बजट में गैर योजना खर्च के जेण्डर घटक में 2014–15 की तुलना में लगभग 4% तक की कमी हुई है तथा योजनागत खर्च के जेण्डर घटक में वर्ष 2014–15 की तुलना में 3.15% की वृद्धि की गयी है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कुल बजट में जेण्डर घटक में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष कृषि विभाग के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा आदि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये आवंटित किये गये बजट को भी शामिल किया गया है जो कि पिछले वर्ष तक नहीं किया गया था। इसके अलावा 2014–15 के विपरीत इस वर्ष के जेण्डर बजट में केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च नहीं दिया गया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिये आवंटित जेण्डर बजट में गैर योजना खर्च के जेण्डर घटक को 2014–15 की तुलना में लगभग 5.32% बढ़ाया गया है। परन्तु योजना खर्च के जेण्डर घटक में पिछले वर्ष की तुलना में 11.54% तक की कमी की गयी है तथा कुल बजट में जेण्डर घटक में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% की कमी हुई है।

दोनों ही क्षेत्रों के बजट को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला कृषकों एवं कृषि मजदूरों के हित के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं तथा राजस्थान में कृषि से जुड़ी महिलाओं की संख्या की तुलना में जेण्डर बजट आवंटन में वृद्धि करना अतिआवश्यक है। राज्य में कृषि क्षेत्र जिस पर राज्य की आधी से अधिक आबादी निर्भर है, की बिगड़ती स्थिति तथा कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धिदर के चलते जहां कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिये बजट आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है वहीं इस वर्ष इसे और भी कम कर दिया गया है। कृषि के बजट में लगातार आ रही कमी व राज्य के कुल बजट की तुलना में इतना कम आवंटन अत्यंत चिंताजनक है।

राज्य में 5 वें राज्य वित्त आयोग का गठन

सरकार ने राज्य के 5 वें वित्त आयोग का गठन 29 मई 2015 को कर दिया है। इस आयोग का अध्यक्ष श्रीमति ज्योति किरण को तथा सदस्य सचिव श्री एस.सी.देसाई को बनाया गया है।

आयोग राज्य में सरकार की वित्तीय स्थिति तथा सरकार के राजस्व आय में से वर्ष 2015–20 तक पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले हिस्से पर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देगा। आयोग से वेबसाईट www.sfc.rajasthan.gov.in के द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

संपादक – नेसार अहमद
संपादक मण्डल – महेन्द्र सिंह राव
– भूपेन्द्र कौशिक
– बरखा माथुर
सहयोग – अंकुश वर्मा
– भीमसिंह मीणा
सलाहकार – डॉ जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :-

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, बुक पोस्ट

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

..... पिन कोड.....